भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3158
जिसका उत्तर गुरुवार, 19 मार्च, 2026 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में स्थानीय भाषा का प्रयोग

3158# श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकियाः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कई हिंदी भाषी राज्यों के उच्च न्यायालयों में हिंदी में बहस करने और फैसले सुनाए जाने की अनुमति है ; और

(ख) क्या उच्च न्यायालयों में स्थानीय आधिकारिक भाषा के उपयोग से संबंधित गुजरात सहित कई राज्यों के प्रस्ताव अनुमोदन के लिए विचाराधीन हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के उच्च न्यायालयों की कार्यवाही में हिंदी के उपयोग की अनुमति है । हालांकि, राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अधीन अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में दिए गए किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के साथ संबंधित उच्च न्यायालय के प्राधिकार के अधीन जारी एक प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद संलग्न होना अनिवार्य है ।

(ख) : भारत सरकार को क्रमशः मद्रास उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय की कार्यवाही में तमिल, गुजराती, हिंदी, बंगाली और कन्नड़ के उपयोग की अनुमति देने के लिए तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक की सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । कैबिनेट समिति के तारीख 21 मई, 1965 के विनिश्चय के अनुसार, उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा के उपयोग से संबंधित किसी भी प्रस्ताव के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश

की सहमति आवश्यक है । तदनुसार, इन प्रस्तावों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श मांगा गया था और यह सूचित किया गया था कि उच्चतम न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ ने उचित विचार-विमर्श के पश्चात् इन प्रस्तावों को स्वीकार न करने का विनिश्चय किया है । झारखंड उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी के उपयोग को प्राधिकृत करने के संबंध में झारखंड राज्य सरकार से प्राप्त इसी तरह का एक प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया है ।

****